कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरई जिला सिवनी

क्रमांक /534 /री0अ0वि0अ0/2024 कुरई दिनांक 27/11/2024

—::आदेश::—

राजस्व महा अभियान 3.0 में उल्लेखित बिन्दुओं पर कलेक्टर महोदय द्वारा ली गई बैठक दिनांक 27.11.2024 में दिये गये निर्देश के परिपालन में राजस्व महाअभियान 3.0 में समल्लित बिन्दु फॉमर रजिस्ट्री/आर.ओ.आर. लिकिंग/स्वामित्व योजना में संतोष जनक प्रगति न होने पर लक्ष्य अनुरूप समीक्षा की जानी है जिस हेतु फॉमर रजिस्ट्री/आर.ओ.आर. लिकिंग/स्वामित्व योजना में प्रतिदिन सुबह 09.00 बजे से 12.00 बजे दोपहर 12.00 से 03.00 बजे एवं शाम 03.00 से 06.00 बजे तक पटवारी द्वारा किये गये कार्य को गूगल शीट में अनिवार्यतः 06.00 बजे तक किये गये कार्य की प्रत्येक पटवारी द्वारा एन्ट्री किया जाना है। किसी भी पटवारी द्वारा गूगल शीट में एन्ट्री नही किये जाने पर संबंधित राजस्व निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की जावेगी एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा कार्य न किये जाने पर उस दिन का अवैतनिक किया जायेगा।

राजस्व निरीक्षक कुरई/सुकतरा पटवारी विरेन्द्र डहरवाल प्रत्येक दिवस प्रातः 09.00 बजे उक्त कार्य की मॉनीटरिंग करेंगे एवं संबंधित सभी पटवारियों को फोन लगाकर इस बात की पुष्टि करेंगे पटवारी हल्के में पहुचे है या नही एवं जियो टैग की फोटो ग्रुप में प्रेषित करायेंगे एवं किसी पटवारी द्वारा शून्य कार्य किया जाता है तो संबंधी राजस्व निरीक्षक को भी अवैतनिक किया जायेगा। स्वामित्व योजना से संबंधित 10 ग्राम कुरई, पिण्डकापार, टुरिया, खवासा, रिड्डी, खैरघाट, पिटेसुर, धोबीटोला रैयत, परासपानी, पीपरवानी अभी भी आर ओ आर एन्ट्री से शेष है। उक्त पटवारी आर ओ आर पूर्ण कर प्रथम प्रकाशन दो दिवस में सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। द्वितीय प्रकाशन से शेष ग्राम जिसमें प्रथम प्रकाशन के 15 दिवस पूर्ण हो चुके हैं उन ग्रामों की नस्तीयां 02 दिवस में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें और भू–अभिलेख में जमा करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(विजय कुमार सेन)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुरई

पृ0क्रमांक /534A/ री0अ0वि0अ0/2024 कुरई दिनांक 27/11/2024

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर महोदय एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– तहसीलदार कुरई/नायब तहसीलदार कुरई/राजस्व निरीक्षक कुरई/सुकतरा आदेश की प्रत्येक दिन व्यक्तिशः मॉनिटरिंग कर पालन सुनिश्चित करेंगे। संबंधी वृत्त के 10 प्रतिशत से अधिक पटवारियों के द्वारा शून्य कार्य पर उस दिवस आपको अवैतनिक किया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुरई